# न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

मो० ग्यासुद्दीन खान वगै० बनाम राजेश कुमार वगै०

वाद संख्या –156 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

| आदेश की क्र०सं० और तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 08-1-24 | आदेश<br>अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। उक्त वाद प्रथम पक्ष के याचिका एवं तत्संबंधित अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी बगोदर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर मौजा– हेसला, थाना– बगोदर अंचल– बगोदर, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 03, प्लॉट न०– 51, रकवा– 03एकड़ 07 डी० मद्ये 1 एकड़ 47 डी०, चौहद्दी– उ०– सर्वे रास्ता, द०– रामलाल साहु, पू०– गुरूचरण घटवार, प०– नीज प्रथम पक्ष की भूमि पर निषेधाज्ञा लागू कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग किया गया।<br>प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित होकर उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दायर कर बतलाया गया कि प्रश्नगत वाद की भूमि बकास्त खाते की है। जिसमें खेवट नं०–3 / 1 बरजू महतो, 3 / 2 होरिल महतो, 3 / 3 अब्दुल्ला खान का है। उक्त तीनों खेवट सम्मिलात है जिस कारण तीनों खेवट का उक्त जमीन पर सम्मिलात हक एवं अधिकार हुआ था। खेवटदारों की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसानों का उक्त खेवट के सम्पत्ति पर हक–अधिकार एवं दखल–कब्जा हुआ। वर्तमान में वाद की भूमि पर प्रथम पक्ष दखलकार है तथा द्वितीय पक्ष अवैध रूप से वाद की भूमि पर निर्माण कार्य करवाने लगे जिस कारण वाद दायर किया गया है। आगे प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष एक बनावटी दस्तावेज के आधार पर भूमि का क्रय–विक्रय किये हैं जिसे लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा बगोदर थाना काण्ड संख्या–186 एवं 188 / 2023 का प्राथमिकी भी दर्ज करवाया गया है। प्रश्नगत वाद की भूमि को लेकर महिउद्दीन खान वगैरह बनाम दिलीप कुमार वगैरह के बीच माननीय सब जज–I गिरिडीह के न्यायालय में स्वत्व वाद की भूमि का आदेश प्रथम पक्ष के हित में पारित करने का आग्रह प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया है।<br>प्रथम पक्ष ने अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज समर्पित किए हैं :–<br>(1) थाना प्रभारी बगोदर की सम्बोधित आवेदन पत्र की छायाप्रति।<br>(2) अंचल अधिकारी बगोदर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति।<br>(3) खेवट कि छायाप्रति।<br>(4) बकास्त खतियान की छायाप्रति। | |

द्वितीय पक्ष की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारणपृच्छा दायर कर बताया गया कि प्रश्नगत वाद की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाता की है जिसके खेवटदार कैडेस्ट्रल सर्वे के समय बरजो महतो, होरिल महतो एवं अब्दुला खान रहे थे। जो बजरिए जमीनदार राजा बहादुर कामख्या नारायण सिंह के अधिनस्थ खेवटदार थे। राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह का राज जब रामगढ़ इस्टेट वार्डस इन्कम्बर्ड के कन्ट्रोल में आया उस समय खेवट संख्या 03/01, 03/02, 03/03 तथा 03/04 की सम्पूर्ण सम्पत्ति मैनेजर वार्डस इंकम्बर्ड इस्टेट के अधिकार में आ गया तथा सभी तीनों खेवटदारों की खेवटदारी समाप्त कर दी गई तथा खेवट संख्या 03/01, 03/02, 03/03 तथा 03/04 की सम्पूर्ण सम्पत्ति को वार्ड्स इन्कम्बर्ड स्टेट के मैनेजर के द्वारा बसन्त राम हलवाई के नाम पर हुक्मनामा के माध्यम से वर्ष 1934 में हस्तानांतरित कर दिया गया। बसन्त राम हलवाई के द्वारा विक्रय विलेख संख्या–5212 दिनांक 30.12.1943 निष्पादित कर बुटरी देवी पति श्यामलाल हलवाई से वाजिब कीमत लेकर अपने सम्पूर्ण भूमि जो हुक्मनामा से प्राप्त था को हस्तांतरित कर दिया गया तब से खेवट न०– 03/01 से 03/04 की सम्पूर्ण भूमि पर बुटरी देवी का हक अधिकार हो गया तथा बुटरी देवी दखलकार रहने लगी तथा जमींदारी अदा कर खालसा रसीद प्राप्त करने लगी एवं जमींदारी प्रथा उन्मुलन के उपरांत अंचल कार्यालय में जमाबन्दी दर्ज कराकर सरकारी राजस्व अदा कर राजस्व रसीद भी प्राप्त करने लगी। उक्त सम्पत्ति को लेकर पूर्व में गुरूचरण महतो एवं अन्य के द्वारा बुटरी देवी के वारिश लक्ष्मण महतो एवं अन्य के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या– 80/1985 दायर किया गया था जिसे सम्पूर्ण सुनवाई के उपरान्त विक्रय विलेख संख्या–5212 दिनांक 30.12.1943 को मान्य करते हुए वाद को अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार वाद की भूमि का स्वत्वादेश द्वितीय पक्ष के हित में पूर्व में हीं सिविल जज वरीय कोटि–I के न्यायालय से पारित किया जा चुका है। आगे द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्होंने बुतरी देवी के वैध मालिकाना हक वाले वारिशों से जमीन का क्रय निबंधित केवाला सं0– 2021/GIR/3349/BKI/3130 (13-11-2021) से किया तथा जमाबंदी भी द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या–2 के नाम पर कायम है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष संख्या–2 दखलकार है जो अंचल अधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष का दावा न्याय के विरूद्ध है जिसे खारिज करते हुए द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाना सर्वथा न्यायसंगत प्रतीत होता है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज समर्पित किया गया है।

(1) केवाला संख्या 3130 दिनांक 13.11.2021 की छायाप्रति।

(2) स्वत्व वाद संख्या 80/1985 के आदेश, डिक्री की छायाप्रति।

(3) भू–अभिलेख केश संख्या 839/1983–84 की छायाप्रति।

अंचल अधिकारी बगोदर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि सर्वे बकास्त खाते की है। पंजी–II के भाग संख्या–05 पेज संख्या–03 पर प्रियंका देवी का जमाबंदी दर्ज है एवं द्वितीय पक्ष का वर्तमान में वाद की भूमि पर दखल कब्जा है।

थाना प्रभारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में दखल कब्जा से संबंधित रिपोर्ट में बतलाया गया है कि वाद की भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से मैं निम्न प्रकार के निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ:–

(1) कि प्रथम पक्ष के पूर्वज के द्वारा पूर्व में प्रश्नगत वाद की भूमि को लेकर स्वत्व वाद संख्या 80/1985 दायर किया गया था जिसमें प्रथम पक्ष के विरूद्ध डिक्री/आदेश पारित है।

(2) कि प्रथम पक्ष के द्वारा स्वत्व वाद संख्या 80/1985 में पारित डिक्री/आदेश के विरूद्ध किसी भी वरीय न्यायालय में अपील दायर नहीं किया गया है।

(3) कि प्रथम पक्ष के द्वारा डिक्री/आदेश होने के 38 वर्षों बाद पुनः प्रश्नगत भूमि पर विवाद करना न्यायसंगत नहीं है।

(4) कि अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी बगोदर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा होने की पुष्टि की गई है।

(5) कि यदि प्रथम पक्ष के द्वारा स्वत्व वाद संख्या– 118/2022 दायर किया गया है तो इस न्यायालय में वाद लाना आवश्यक नहीं था। प्रथम पक्ष को स्वत्व वाद संख्या 118/2022 में हीं स्टे–ऑडर प्राप्त करना न्यायसंगत होता।

(6) कि जब तक स्वत्व वाद संख्या 85/1985 में पारित डिक्री/आदेश के विरूद्ध अन्य आदेश न आ जाय तब तक प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष के हित में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध नियमन निरपेक्ष घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित

08-1-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

08-1-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2024.12.07 17:54:41 +05:30
Location: 192.168.1.11